I/369345/2024

पत्र संख्या / एफ0टी0. 48—5251 / 2021(एफ0सी0ए0)
वन विभाग हिमाचल प्रदेश।

प्रेषक: नोड़ल आफिसर एवं अति0 प्र0 मुख्य
अरण्यपाल (एफ0सी0ए0)हि0प्र0।

प्रेषित: उप महा निरिक्षक, वन
उप कार्यालय भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
भारतीय वन सर्वेक्षण, क्षेत्रिय कार्यालय (उत्तरीय),
सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, शिवालिक खण्ड,लौंगबुड,
शिमला, हिमाचल प्रदेश़—1710001

दिनांक शिमला—1

विषयः **Diversion of 7.2834 ha of Forest land for rehabilitation and upgradation to four land configuration & Strengthening of Sihuni to Rajol from Kms. 51.00 to 72.00 (Package IIA) (Design Length 18.450 Kms) of NH-20 (New NH-154) of Pathankot-Mandi section in the State Of Himachal Pradesh within the jurisdiction of Nurpur, Dharamshala & Dalhousie Forest Davison in Distt. Kangra & Chamba, Himachal Pradesh (Online Proposal No. FP/HP/Road/152261/2021).**

महोदय,

आपके कार्यालय के पत्र संख्या नम्बर FC/HPB/06/49/2022 दिनांक 05/04/2023 के संदर्भ में।

2 उपरोक्त सन्दर्भ के अधीन पत्र के द्वारा इस प्रस्ताव को सैन्द्धातिक स्वीकृति प्रदान की गई जिसकी अनुपालना निम्न प्रकार से प्रस्तुत हैः—

1ए वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जाएगी। इस आश्य की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।

2ए परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी। इस आश्य की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।

3ए **प्रतिपुरक वनीकरणः**

क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर सी0ए0 के लिए प्रस्तावित वन भूमि 4.17 है0 पर पौधों का रोपण किया जाएगा। इसकी लागत राशि कैम्पा में जमा कर ली गई है। जंहा व्यावहारिक होगा, स्थानीय स्वेदशी प्रजातियों को लगाया जाएगा। इस आश्य की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।

(ख) प्रतिपुरुक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचालित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरुक वनीकरण की लागत एव सर्वेक्षण सीमाकंन व स्तम्बन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रुप में जमा करा दी गई है। इस आश्य की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।

4ए **शुद्व वर्तमान मूल्यः**

क) भारत के माननीय उच्चतम् न्यायालय के दिशा निर्देशो के अनुसार शुद्व वर्तमान मूल्य की राशि Adhoc CAMPA में जमा करवा दिया गया है। इस आश्य की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।

(ख)शुद्व वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी। इस आश्य की वचन बद्धता संलग्न कर दी गई है।

I/369345/2024

5ण राज्य सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा IA No. 3840 in WP (C) No. 202/1995 में एफ0सी0ए के तहत वन भूमि के प्रत्यापर्ण पर लगाई गई रोक को आदेश दिनांक 08. 02.2023 द्वारा हटा दिया गया है। परन्तु माननीय उच्चतम न्याालय ने अपने इस आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि नेशनल पार्क तथा वाईलड लाईफ सेन्चुरी वन भूमि पर यह ओदश लागू नहीं होगा।

6ण The KML files of the area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area will be uploaded in E-green watch portal before the working permission or submitting the compliance report of Stage-II approval. Undertaking in this regared, is uploaded with the compliance report of Stage-I approval by the user agency.

7ण एफ0आर0ए0 का पूर्ण अनुपालन संबधित जिला कलैक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।

8ण The user agency has provided an undertaking to comply with the condition.

9ण provided the record consulataiton and meeting concerned ward before final approval.

10ण A undertaking/certificate in this regard has been submitted by by user agency concerned and uploaded with the compliance report of user agency on the web portal.

11ण The State Govt. will compliy with the conditions accordingly.

12ण प्रयोक्ता अभिकरण आई आर0 सी0 मानदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढाई जाएगी। इस आश्य की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।

13ण संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रो में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियम साइनेज लगाए जाएंगे।

14ण The user agency has deposited the cost of trees in State Govt. treasury account. Further, It is also submitted that trees will be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees has been deposited by the User Agency with the State Forest Department. The possibility to reduce the number of tree (Emblica spp., Terminalia spp., Bauhinia spp., Acacia spp., Cordia spp and Ficus spp etc.) will be explored and the State Forest Department will constitute a Committee comprising Range Officer and Site Engineer Incharge and headed by the DFO concerned. The Committee will examine the alignment at the time of execution of work and will recommend the removal of trees on case to case basis along the RoW of road after looking into the possibility of reducing the total number of trees to be affected. The DFO will verify the enumeration and accordingly grant felling permission based on the actual requirement. DFO will submit the list of trees to IRO Shimla, granted felling permission by him and trees to be retained within a period of two (2) months after execution of the project. The undertaking for the same duly authenticated by the concerned DFO may be provided.

15ण इस आश्य की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।

16ण आस–पास के क्षेत्र के वनस्पतियों तथा जीवों को कोई नुकसान नहीं पहुचाया जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण ने इसके लिए सहमती जताई है।

17ण परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोंटल के माध्यम से क्षतिपुरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड से जमा किया गया है। प्रयोक्ता ऐजेंसी ने इस प्रस्ताव से

I/369345/2024

सम्बन्धित प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण (Compensatory Afforestation) की राशी **4844255 रु0**, शुद्व वर्तमान मूल्य (Net Present Value) की राशी 8817679 **रु0, तथा amount of SMCP @ 0.5% of the total cost Rs. 6621700/-** जो कुल **20283632 रु0** बनती है, प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में जमा की है। Proforma की प्रतिलिपी आगामि कार्यवाही हेतू प्रेषित है।

18ण इस प्रस्ताव के लिए पर्यावरण अधिनियम, 1986 के प्रावधानो के अनुसार पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।

19ण केन्द्र सरकार की अनुमति प्राप्त Layout Plan नहीं बदला जायेगा जिसकी बचन बद्धता की प्रति साथ संलग्न है।

20ण वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा, जिसकी बचन बद्वता संलगन है।

21ण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त प्रस्तावना के निर्माण के लिए मजदुर नियुक्त किए जाएंगे उन्हें वन विभाग अथवा वन विकास निगम द्वारा वैकल्पिक ईधन उपलब्ध कराया जाएगा।

22ण संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर पिलर्स द्वारा सीमाकन किया जाएगा। बचनबद्धता की प्रति संलग्न है।

23ण बचनबद्धता की प्रति संलग्न है।

24ण वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट परियोजनाओं के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजना हेतू उपोग नहीं किया जाएगा।

25ण केन्द्र सरकार की पूर्व अनूमति के बिना प्रत्यार्वतन हेतू प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में अन्य एजेंसी, विभाग अथवा व्यक्ति को हंस्तातरित नहीं किया जायेगी। इससे सम्बन्धित वचन वद्धता की प्रति संलग्न है।

26ण पर्यावरण वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण के एवं विकास के लिए समय–समय पर निर्धारितशर्तें मान्य होगी।

27ण इस आश्य की वचन बद्धता संलगन है।

28ण यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि जो इस प्रस्ताव में लागु होते हो तो उनके अधिन जरुरी अनुमति प्राप्त कर ली जाएगी।

29ण इनमें से किसी भी शर्त का या वनं संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा तो भारत सरकार के पत्र संख्या 11–42/2017–एफ0सी0 दिनांक 29.01.2018 के अनुसार की गई कार्यावाही मान्य है।

30ण अनुपालना रिर्पोट ई–पोर्टल पर अपलोड की दी गई है।

अतः आपसे निवेदन है कि प्रस्ताव को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति प्रदान की जाए।

भवदीय,

Signed by
Sanjay Sood
Date: 18-03-2024 17:01:13

नोडल आफिसर एवं अति0 प्र0 मुख्य
अरण्यपाल (एफ0सी0ए0)हि0प्र0